

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/103

दिनांक:-9/5/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड भीलवाडा/उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय के अधीन मण्डल की भीलवाडा के अधीन विभिन्न योजनाओं में अनिस्तारीत विभिन्न आय वर्ग के आवासीय सरप्लस आवासों का नीलामी के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-


क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल
1.	तिलक नगर, भीलवाडा	उच्च आय वर्ग	5-ए-31	1
2.	रिको फेज चतुर्थ	उच्च आय वर्ग	3/5, 3/11, 3/14, 3/15, 3/16	5
3.	पटेल नगर भीलवाडा	मध्यम आय वर्ग-ब	6-के-52, 6-एन-33,	2
4.	पटेल नगर विस्तार भीलवाडा	अल्प आय वर्ग	1/94, 2/73, 2/101, 2/129, 3/34, 3/55	6
		मध्यम आय वर्ग अ	1/104, 1/105, 1/116, 1/118, 1/119, 1/122, 1/120	7
		उच्च आय वर्ग	1/3, 1/40, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45	6
5.	पी.डी.एन सुवाना, भीलवाडा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	2/222,224,225,226,227,232,233,234,236,237,238, 239,240,242,243,249,275,276,277,279,281, 286,288, 289,290,291,292,293,294,302,304,306,307, 309,310, 315,316,318,319,321,324,325,327,328,329, 330,331, 332,333,335,337,338,342,343,345,346,347, 350,351, 353,355,356,357,358,361,362,363=67 3/164ए,167,168,170,171,173,174,176,177,178,180, 182,183,185,187,189,191,193,194,195,198,199,200, 201,203,207,208,209,212,213,214,215,216,218,219, 220,221,222,223,226,227,228,229,230,231,232,235, 236,239,243,244,245,246,247,247ए,248,249,250,251, 252,253,254,255,256,258,262,265,268,269,270,272, 273,274,275,280,282,283,284,285,286,287,288,289,	246

			290,291,293,295,297,299,300,301,302,304,306,307,310,312,313,314,317,318,319,320,321,322,328,329,331,333,334,335,338,341,342,343,344,346,350,352,353,354,356,357,358,359,361,362,364,365,366,367,368,369,373,374,377,378,379,380,382,383,384,385,386,387,388,392,394,398,399,400,401,402,404,405,406,406ए,407,409,411,412,413,416,420,421,422,423,425,428,429,430,431,432,434,435,436,436ए, 436बी,437=179	
	पी.डी.एन सुवाना, भीलवाडा	अल्प आय वर्ग	1 / 229,230,232,234,235,236,239,240,241,244,245,246,247,250,251,252,253,254,255,256,257,258,260=23 2 / 39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,68,69,70,73,74,76,77,79,81,82,84,85,87,89,91,92,93,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,110,111,113,114,116,120,122,123,124,128,129,131,132,134,135,136,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,177,178,181,182,183,184,186,188,191,192,198,200,201,202,204,206,207,208,209,210,215,217,218,220=104 3 / 44,45,46,49,53,54,55,61,62,63,64,66,67,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,99,100,101,105,106,107,108,109,110,112,113,114,115,116,117,118,120,121,122,124,125,126,127,128,129,131,132,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,146,147,148ए,150,152,153,154,156,158,159,161=81	208
		मध्यम आय वर्ग अ	1 / 81,81ए,85,86,87,88,90,91,92,97,98,99,100,101,103,104,105,106,108,109,110,111,112,114,115,117,118,119,123,124,125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,162,163,165,166,167,168,170,172,173,174,175,176,178,179,180,182,183,184,185,186,187,188,190,192,193,194,195,196,197,3 / 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,37,38,39=110	110
6	रायला भीलवाडा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1 / 11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,25,27,28,29,31,32=16 3 / 72=1 5 / 17,19,20,21,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72=44 6 / 27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38=11	72
		अल्प आय वर्ग	3 / 96,97,98,99=4 5 / 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16=14 6 / 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,21,23,24,25,26=17	35

7	गुलाब पुरा भीलवाडा	अल्प आय वर्ग	1-डी-14,2-बी-54 3-ए-26,28,31,3-बी-7=6	6
		मध्यम आय वर्ग अ	1-ई-22,24,2-ई-6,12,22,3-ए-4,3-सी-5,9,17=9	9


संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय आवासीय भूखण्डों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. आवासीय योजना में आवास/प्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/प्लेट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन /शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।  
उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 11/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0)/ प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0 आ0म0, वृत्त-उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-भीलवाडा, रा0 आ0म0 भीलवाडा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक